



2026:AHC:12929

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 214 सन् 2026

नियाज़ अहमद याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सरोज कुमार त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2-उप मंडल मजिस्ट्रेट (न्यायिक), तहसील पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर, जिला चंदौली को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत लंबित कार्यवाही, जिसका वाद संख्या R RST/5881/2022 और कंप्यूटर सीरियल नंबर T T202214180405881 है, का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, फिर भी इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा इस प्रकार किया जाता है कि संबंधित न्यायालय को उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया जाए, लेकिन अनावश्यक स्थगन न दिया जाए, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"